Dr. Md. Shahab uddin
Deptt. Pol. Sc. J. J. college, Ara

(UG) Part-III, Pol. Sc.
Vth Paper
chapter. 7.

विभागीय संगठन के आधार का गुण & दोष

Bases of Departmental organization Merits & Demerits

प्रादेशिक आधार पर विभागीकरण में अनेक गुण होते हुए भी इसका प्रयोग व्यापक रूप से नहीं हो सका है। इससे हानि यह होती है कि देश के व्यापक हितों की लागत पर संकुचित प्रदेशवाद (Narrow regionalism) पनपने लगता है। प्रादेशिक विभागों का स्थानीय राजनीतिज्ञों तथा स्थानीय जोर डालने वाले वर्गों के हानिकर दबावों के अन्तर्गत काम करना पड़ सकता है। वालस ने स्थान अथवा प्रदेश के आधार पर किए जाने वाले विभागीकरण के विचार स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है।

(1) मितव्ययिता - प्रादेशिक संगठन में मितव्ययिता होती है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप आने-जाने तथा पत्र-व्यवहार की आवश्यकताएं कम हो जाती हैं और इस प्रकार अधीक्षण का व्यय घट जाता है। विभागीय संगठन के प्रक्रिया सिद्धान्त का पहला गुण यह बताया जाता है कि इससे विशेषीकरण अधिक मात्रा में हो सकता है और अद्यतन (Up-to-date) प्राविधिक कौशल का पूरी तरह उपयोग संभव है। यदि समस्त चिकित्सकों और इंजीनियरों को क्रमशः चिकित्सा और इंजीनियरी के केन्द्रीय विभागों के अन्तर्गत संगठित किया जाएगा, एवं विविध कार्यमूलक विभागों की उनकी छोटी-छोटी इकाइयां बिखरे हुए रूप में न रखी जाएंगी तो वे अपने-अपने व्यवसाय में लगे हुए लोगों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए रख सकेंगे, एक-दूसरे से प्रेरणा और ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

(ii) समन्वय — प्रक्रिया के आधार पर विभागीय संगठन करने पर समरूपता और समन्वय स्थापित करने में सुविधा होती है। उदाहरण के लिए, जब समस्त विधि अधिकारियों को एक विधि विभाग में एकत्रित कर दिया जाता है तो नियमों, आदेशों, विधेयकों, आदि का प्रारूप तैयार करने अथवा विशेष मामलों में वैधानिक परामर्श देने के कार्य में अधिक समरूपता और समन्वय की स्थापना हो सकती है।

(iii) आंकड़े एकत्रित करने की सुविधा — प्रक्रिया के आधार पर संगठित विभागों में 'मूल्य निर्धारण' तथा 'इकाई' मूल्य का पता लगाना सुगम हो जाता है, और इस प्रकार बजट बनाने, लेखा तथा करने, आदि के लिए उपयोगी सामग्री प्राप्त हो सकती है।

(iv) पदोन्नति के अवसर — प्रक्रिया के आधार पर यदि विभागों का निर्माण किया जाए तो इसमें विशेष योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर भारी संख्या में प्राप्त होते हैं। यदि इस प्रकार विभागों का निर्माण न किया जाए तो एक डाक्टर शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, भले ही इसे अनुभव प्राप्त हो परंतु उसे पदोन्नति के अवसर प्राप्त नहीं हो सकेंगे क्योंकि शिक्षा के सम्बन्ध में उसका ज्ञान नहीं है।

(v) विशेषीकरण को बढ़ावा — विभागीय संगठन प्रक्रिया सिद्धान्त का पहला गुण यह बताया जाता है इसके विशेषीकरण अधिक मात्रा में हो सकता है।

दोष (Demerits) प्रक्रिया के आधार पर निर्मित के निम्नलिखित दोष हैं :

(i) समन्वय स्थापित करने में कठिनाई — प्रक्रियामूलक विभागीय संगठन में पहला दोष यह है कि इसमें समन्वय की स्थापना करना कठिन हो जाएगा।

प्रत्येक कार्य करने के लिए यह आवश्यक होगा कि बहुत सारे प्रादेशिक विभागों का सहयोग प्राप्त किया जाए। उदाहरणार्थ, मृदा रक्षा सम्बन्धी कार्य को ही लें तो हमें ज्ञात होगा कि इसकी पूर्ति के लिए इन्जीनियरी, चिकित्सा, आदि अन्य प्रादेशिक विभागों का सहयोग लेना पड़ेगा।

(ii) समन्वय सुगम — यह पद्धति इन विविध सम्बन्धित समूहों के लिए जुटाई जाने वाली सेवाओं में समन्वय की स्थापना का सुगम मार्ग है। इसका कारण यह है कि सभी एक ही विभाग के अन्तर्गत होती है।

(iii) व्यावसायिक ढंग — प्रक्रिया के आधार पर विभागों का संगठन विभागाध्यक्षों के मन में व्यावसायिकता अथवा की मनोवृत्ति उत्पन्न कर देगा और सार्वजनिक नियन्त्रण पसन्द नहीं करेंगे।

(iv) साध्य की अपेक्षा साधन पर अधिक बल — इस पद्धति का एक दोष यह कि इसके अन्तर्गत साध्य की अपेक्षा साधन पर अधिक बल दिया जाता है। वास्तव में प्रशासन का प्रयोजन जनता के लिए विविध सुविधाएं जुटाना है, जैसे — पुलिस संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान, सड़कें आदि।

(v) मितव्ययिता के स्थान पर अपव्यय — ऐसे विभागों के अध्यक्ष स्वाभाविक तौर पर यह सोचेंगे कि उनका यह नैतिक दायित्व नहीं है कि वे अपने कार्य को इसके पदों पर बनाए रखें और इसके लिए वे अनेक बार ऐसे गलत और अनावश्यक कार्य हाथ में उठा लेंगे जो राष्ट्रीय हित की दृष्टि से अनुपयोगी होंगे।

(vi) विभागीय संगठन के आधार के रूप में व्यक्ति-समूह — (Clientele) व्यक्ति समूह अथवा प्रभावित हितों के आधार पर विभागीय संगठन का अर्थ यह है कि सेवा किए जाने वाले व्यक्तियों के आधार पर प्रशासनिक इकाइयों को एक ही विभाग में संगठित किया जाए। ऐसे विभाग होंगे — बाल विभाग, वृद्ध विभाग, श्रमिक विभाग, बेरोजगार विभाग आदि।

Scanned with CamScanner

गुण (Merits) - इस प्रणाली के निम्नलिखित गुण हैं :

(i) व्यक्ति समूह तथा प्रशासन के मध्य सरलता से सम्पर्क - ऐसे विभागों से सम्बन्धित समूह तथा प्रशासन के बीच के सम्बन्धों में बहुत सरलता आ जाती है। उदाहरणार्थ, हरिजन को अपने हरिजन सम्बन्धी कार्यों के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग तक पथ मापना नहीं पड़ता।

(ii) गुण (Merits) क्षेत्र के आधार पर विभागीय संगठन उन देशों के लिए लाभदायक माना जाता है जो आकार में बड़े और क्षेत्र में विस्तृत होते हैं।

(iii) दूरवर्ती प्रदेशों का शासन सुगम - जहाँ कार्य क्षेत्र दूर-दूर हो और आवागमन की कठिनाइयाँ हो वहाँ संगठन का प्रादेशिक आधार सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने दूरवर्ती देशों के संगठन के लिए बहुत से विभाग तथा उप-विभागों की स्थापना करने की अपेक्षा एक विभाग प्रादेशिक विभाग पर संगठित किया जो भारत कार्यालय (India office) कहलाता था और भारत सम्बन्धी समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी था।

(iv) जनता की आवश्यकतानुसार नीति निर्धारण - इस पद्धति के द्वारा यह सरल हो जाता है कि सरकारी नीतियों का सम्बन्धित क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुकूल बना लिया जाए। किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आर्थिक साधनों तथा उनके विचारों की स्थिति को ध्यान में रखकर नीतियों और कार्यक्रमों में आवश्यक हेर-फेर किए जा सकते हैं।

(v) समन्वय एवं नियंत्रण की सुविधा - इस सिद्धान्त से यह लाभ है कि विशेष क्षेत्र से सम्बन्धित समस्त समस्याओं के मध्य तालमेल सुगमता से स्थापित किया जा सकता है।

इस तरह का उपरोक्त सामग्रियों के माध्यम विभागीय संगठन के आधार गुण & दोष ज्ञात किया जा सकता है।

(1) Gov-Politics एम.पी. त्यागी & आर.के. रस्तोगी
(2) P.A. डा० बी० एल० फाड़िया
साहित्य भवन पब्लिकेशन्स
(3) पाश्चात्य राजनीतिक विचारक - डा० मो० शाहिद
नियम पब्लिकेशन्स दिल्ली